न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 34 / 23

तारीख रज्जू–12 / 09 / 23

1. हरेत पुत्र रूग्गी जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
2. रामसहाय पुत्र रूग्गी जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
3. मक्खन पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
4. गोविन्द पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
5. हरिमोहन पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
6. गोपाल पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
7. रामसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
8. मुकेश पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
9. श्रीमती माया पत्नि स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
10. हरिओम पुत्र स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
11. मनोज पुत्र स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
3. कालीचरण पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
4. लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

—— रेस्पोडेन्टान

उपस्थित

1. अधिवक्ता महेश अग्रवाल – अपीलार्थी पक्ष
2. अधिवक्ता रामदयाल त्रिवेदी – रेस्पोडेन्ट पक्ष

निर्णय दिनांक––06.11.2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के क्रमांक /भू0अ0/2022/3007 आदेश दिनांक 30.09.2022 व कैफियत पटवारी हल्का खानपुर बडौदा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने छाया प्रति राजस्व अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2018 (अपील सं0 129/16 उनवान जगदीश बनाम हरेत) पटवारी हल्का खानपुर बडौदा को प्रेषित कर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो नियमानुसार पालना करने हेतु लिखा गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार गंगापुर सिटी के क्रमांक /भू0अ0/2022/3007 आदेश दिनांक 30.09.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Sd/- 5/11/24

तारीख रज्जू–12/09/23

अपील संख्या– 19/23

1. हरेत पुत्र रूग्मी जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
2. रामसहाय पुत्र रूग्मी जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
3. मदल पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
4. गोविन्द पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
5. हरिमोहन पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
6. गोपाल पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
7. रामसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
8. मुकेश पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
9. श्रीमती माया पत्नि स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
10. हरिओम पुत्र स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
11. मनोज पुत्र स्व0 दामोदर जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरसहाय जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरसहाय जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
3. कालीचरण पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

— रेस्पोडेन्टान

उपस्थित

1. अधिवक्ता महेश अग्रवाल – अपीलार्थी पक्ष
2. अधिवक्ता रामदयाल त्रिवेदी – रेस्पोडेन्ट पक्ष

दिनांक–05.11.2024

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के नामान्तकरण खं0 1196 निर्णय दिनाक 04.11.2022 वाके ग्राम खानपुर बडौदा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण सं0 1196 में पारित निर्णय दिनांक 04/11/2022 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित भूमि खं0नं0 871 रकबा 0.43 है0 किस्म बारानी 2 से गै0मु0रास्ता का नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 1196 निर्णय दिनांक 04.11.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त दोनों अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पो0 मय अधिवक्ता उपस्थित। अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। उक्त दोनों प्रकरणों मे पक्षकार व विवादित भूमि एक ही होने के कारण आदेशिका दिनांक 16.08.2024 में पारित निर्णय के अनुसार दोनों प्रकरणों को समेकित किया गया है तथा उभय पक्षों को दोनों प्रकरणों में एक साथ मुल बहस सुनी गई।

5/11/24

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 396 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम खानपुर बडौदा जिराके हाल खसरा नम्बर 871 रकबा 43 एयर बनाए गए है। उक्त वाद आराजीयात अपीलान्ट वादीगण के कब्जे काश्त का खातेदारी आराजी है , जो बुजुर्गो के समय से रही है। जिस पर वादीगण सदैव से काश्त करते चले आ रहे है। आराजी साबिक ख0नं0 396 रकबा 2 बीघा रेवन्यू रिकॉर्ड में किस्म भूमि बारानी दोयम दर्ज रही है। वर्तमान सेटलमेंट में उक्त भूमि के नवीन नम्बर 871 रकबा 43 एयर को गैरगुमकिन रास्ता गलत रूप से दर्ज कर दिया जोकि कभी भी गैरगुमकिन रास्ता नहीं रहा है बल्कि किस्म भूमि बारानी दोयम दर्ज रही है जो कि रेवन्यु रिकॉर्ड से साबित है। बंदोवस्त विभाग को अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का कोई अधिकार नही था ना रहा है। कार्यवाही बंदोवस्त विभाग खिलाफ कानून व कायदा बिला अधिकार क्षेत्र होने के कारण नल एवं वोइड है व हक हकूक अपीलान्ट पर बेअसर है। अपीलाण्ट वादीगण ने उक्त किस्म भूमि की दुरूस्ती हेतु अपना वादपत्र माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां पर दिनांक 22.07.2000 को दायर किया जो कि मुकदमा नम्बर 161/2000 उनवान रामजीलाल बनाम लैण्ड होल्डर रहा। दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ के साथ पेश किया। जिस पर न्यायालय हाजा ने विधिक रूप से सुनवाई करते हुए गवाह सबूत लेकर अपीलाण्ट वादीगण को दावा दिनांक 25.11.2004 को डिक्री कर दिया व आराजी हाल खसरा नम्बर 871 रकबा 43 एयर वाकेग्राम खानपुर बडौदा का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट घोषित करते हुए उक्त खसरा नम्बर की किस्म भूमि गैरमुमकिन के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

उक्त निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 25.11.2004 की अनुपालना में अपीलार्थी वादीगण ने डिक्री की पालना हेतु इजराय पेश की। जिसकी कैफियत तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजी गई और उनके द्वारा अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती की गई। जिसका इन्द्राज हाल जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 वाके ग्राम खानपुर बडौदा में अपीलाण्ट खातेदार के नाम हाल खसरा नम्बर 871 रकबा 0.43 है0 किस्म भूमि बारानी 2 दर्ज है।

निर्णय दिनांक 25.11.2004 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहां अपील पेश की जिसका निस्तारण दिनांक 30.04.2018 को हो चुका है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने मामला पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को प्रेषित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर की जिसका निर्णय दिनांक 07.09.2022 को हो चुका और उसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2018 को यथावत रखा है। जिसमें उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साबिक खसरा नम्बर 644/1 व 644/2 की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली पुनः सुनवाई करने हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को प्रेषित किया है। अभी सुनवाई नहीं हुई है। मामला विचाराधीन है। ऐसी सूरत मे वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार के इन्द्राज को नहीं बदला जा सकता है।

5/11/24

माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी व तहसीलदार गंगापुर सिटी के [illegible] कोई विधिवत नोटिस सुनवाई हेतु अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। कार्यवाही खिलाफ कानून की गई है जो कि विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय योग्य है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए अपीलान्ट को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक था, जबकि अदालत मातहत द्वारा बिना सुने हुए अपीलान्ट के नैसर्गिक अधिकारों का हनन करते हुए कार्यवाही की गई है जो अवैधानिक है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 01.11.2022 को 02.11.2022 को तहसील पहुंचना व 03.11.2022 को पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरा जाना व दिनांक 04.11.2022 को ही तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया जाना संदेहास्पद कार्यवाही है।

अदालत मातहत द्वारा धारा 144 सी0पी0सी0 की अनुपालना नहीं की गई है। कार्यवाही [illegible] तरीके से खिलाफ कानून व कायदा की गई है। जिसका कोई अधिकार अदालत मातहत को नहीं है। कार्यवाही तहसीलदार क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण व कैफियत पटवारी हल्का खानपुर बडौदा की गलत रूप से प्रेषित की गई है जो कि निरस्त योग्य है। आदेश दिनांक 30.04.2018 की कार्यवाही अदेश के अनुसार ही सक्षम न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां होनी है व जब तक कार्यवाही वहां से नहीं होती है तब तक तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिकार नहीं है कि वह बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के रेवन्यू रिकॉर्ड के इन्द्राज को बदल दे , इस प्रकार कार्यवाही तहसीलदार गंगापुर सिटी निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त दोनों अपील स्वीकार करते हुए अदालत मातहत के क्रमांक मु0330 / 2022 / 3007 व कैफियत पटवारी हल्का खानपुर बडौदा तथा नामान्तकरण स0 1196 ग्राम खानपुर बडौदा स्वीकृत दिनांक 04.11.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2004 द्वारा उक्त वाद आराजीयात वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वाद आराजीयात की किस्म गैरमुमकिन के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज की गई है। जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2018 द्वारा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2004 को अपास्त किया जा चुका है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक [illegible]/09/2022 द्वारा अपील खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 यथावत रखा गया है। उक्त वाद आराजीयात की किस्म गैरमुमकिन [illegible] न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 25.11.2004 की पालना में किया गया था, [illegible] उक्त आदेश वर्तमान में अपास्त किया जा चुका है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 [illegible] की अब कोई प्रकरण रिमाण्ड होकर आता है तो निर्णय से पूर्व की स्थिति रखी जाती है, [illegible] अपीलान्ट ने उक्त दोनों अपीले निरस्त करते हुए अदालत मातहत के क्रमांक मु0330 / 2022 / 3007 व कैफियत पटवारी हल्का खानपुर बडौदा तथा नामान्तकरण स0 1196 ग्राम खानपुर बडौदा स्वीकृत दिनांक 04.11.2022 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

5/11/24

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत के [illegible] का अवलोकन किया गया। उक्त दोनों अपीलों का मुख्य उद्देश्य वाद आराजीयात की किस्म [illegible] के स्थान पर बारानी दर्ज करने का है। उक्त क्रम में सर्वप्रथम [illegible] न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर , मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर [illegible] पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने अपने [illegible] दिनांक 25.11.2004 द्वारा उक्त वाद आराजीयात वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] उक्त वाद आराजीयात की किस्म गैरमुमकिन के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज करने का आदेश प्रदान [illegible] हुआ है। मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2018 [illegible] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2004 को अपास्त [illegible] प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07/09/2022 द्वारा अपील खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई [illegible] द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 यथावत रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त [illegible] अनुसार वर्तमान मे न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2004 अपास्त किया जा चुका है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रति[illegible] किया हुआ है । अदालत मातहत द्वारा जारी क्रमांक भू0अ0/2022/3007 दिनांक 30.09.2022 [illegible] अवलोकन किया गया। उक्त पत्रांक क्रमांक भू0अ0/2022/3007 दिनांक 30.09.2022 संबन्ध आदेश [illegible] सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2018 की पालना में जारी किया हुआ है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि [illegible] विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध होना प्रतीत नहीं होता है। नामान्तकरण सं0 1196 वाके ग्राम खानपुर बडौदा स्वीकृत दिनांक 04.11.2022 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण उप जिला [illegible] गंगापुर सिटी के क्रमांक/रा0/2022/6818 दिनांक 1/11/2022 की पालना में तस्दीक किया [illegible] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 1/11/2022 का अवलोकन किया गया। उक्त [illegible] न्यायालय उप जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 25.11.2004 से पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति [illegible] करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा गया है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर का निर्णय [illegible] 25.11.2004 , राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2018 द्वारा [illegible] किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप व न्यायोचित [illegible] है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा [illegible] मातहत का क्रमांक/भू0अ0/2022/3007 आदेश दिनांक 30.09.2022 तथा नामान्तकरण [illegible] ग्राम खानपुर बडौदा स्वीकृत दिनांक 04.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 [illegible])
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी